संजय सिंह–I,
एच0जे0एस0
सदस्य सचिव,

उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

(विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के अन्तर्गत गठित)

सेवा में,

समस्त अध्यक्ष/जनपद न्यायाधीश,
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
दीवानी न्यायालय परिसर,
अन्तर्गत उ0प्र0।

पत्र सं0: 759/एसएलएसए–55/2010(पीएलवी) दिनांकः मार्च 14, 2023

विषयः पराविधिक स्वंय सेवकों के कार्य दिवस 16 के स्थान पर अधिकतम 20 कार्यदिवस किये जाने के संबंध में।

महोदया/महोदय,

जैसा कि आप अवगत है कि समस्त जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों में पराविधिक स्वंय सेवक कार्यरत है। इस संबंध में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के पत्र संख्या 2088/एसएलएसए–55/2010(पीएलवी), दिनांकित 31.05.2022 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसमें जिलों में कार्यरत पराविधिक स्वंय सेवको के 12 कार्य दिवसों को बढ़ाकर अधिकतम 16 कार्यदिवस प्रतिमाह किये जाने के निर्देश दिये गये थे।

उक्त के अनुक्रम में माननीय कार्यपालक अध्यक्ष, उ0 प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जिलों में कार्यरत पराविधिक स्वंय सेवको के 16 कार्य दिवसों को बढ़ाकर अधिकतम 20 कार्यदिवस प्रतिमाह किये जाने के निर्देश दिये गये है।

इस प्रकार उपरोक्त निर्देशानुसार, दिनांक 01.04.2023 से, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में कार्यरत पराविधिक स्वंय सेवको को प्रतिमाह अधिकतम 20 कार्यदिवस का कार्य प्रदान किया जा सकता है।

सादर।

भवदीय

(संजय सिंह–I)
सदस्य सचिव